

## प्रेस नोट दिनांक-03.06.2021

(1). यूपी 112 जनपद चित्रकूट

जनपद चित्रकूट पीआरवी 2041 चौकी शिवरामपुर थाना कोतवाली कर्वी अंतर्गत दिनांक 02/06/2021 को समय 18:10 बजे इवेंट संख्या 11617 द्वारा घटनास्थल भैसौंथा थाना भरतकूप से कॉलर काशी ( मोबाइल नंबर 9559343609 )सूचना दी गयी कि काशी प्रसाद जी की बेटी ऊषा देवी का एक जीप वाले ने एकसीडेंट किया है गाड़ी मौके पर मौजूद है ऊषा जी की हालत गंभीर है। इस सूचना पर पीआरवी तत्काल अल्प समय में घटनास्थल पर पहुंची घटनास्थल पर पहुंच कर पीआरवी कर्मियों को जानकारी हुई कि एक जीप वाले ने एक लड़की ऊषा देवी उम्र लगभग 5 साल को टक्कर मार दी है जिससे लड़की गंभीर रूप से घायल हो गई है। घायल लड़की को उसके पिता के साथ 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जीप up78r4827 को मय ड्राइवर दशरथ तिवारी r/o इटखरी ps भरतकूप को थाना भरतकूप में सुपुर्द किया गया है।

### पीआरवी स्टाफ

कमांडर - hc अरुण तिवारी

पायलट - hg राधेश्याम

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में श्री अवधेश कुमार मिश्रा तथा उनकी टीम द्वारा दिनांक 02.06.2021 को ग्राम ओरा के पास नदी में थाना पहाड़ी में नियुक्त आरक्षियों के साथ मारपीट करने वाले 09 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 02.06.2021 को थाना पहाड़ी में नियुक्त आरक्षी पंकज कुमार यादव, आरक्षी दीपक विश्वकर्मा एवं आरक्षी नरेन्द्र सिंह कागजात तामीला हेतु ग्राम ओरा पहुंचे तभी गांव के कुछ लोगों द्वारा उनसे शिकायत की गयी कि ग्राम ममसी खुर्द थाना कमासिन जनपद बांदा के लोग भारी संख्या में अपनी अपनी बेल गाड़ी (लढ़ी) लेकर बागे नदी पार करके ओरा क्षेत्र में अवैध रूप से प्रतिदिन बालू चोरी करके खनन कर ले जाया जाता है, आज भी ये लोग काफी संख्या में ओरा की तरफ आकर नदी के किनारे बालू खनन कर रहे है। इस सूचना पर तीनों आरक्षी नदी किनारे पहुंचे तो अवैध खनन करने वाले लोगों द्वारा उनके साथ मारपीट की गयी जिसके सम्बन्ध में थाना पहाड़ी में मु0अ0सं0 64/2021 धारा 147/148/149/332/353/323/504/506/379/427 भादवि0 व 7 सीएलए एक्ट व 4/21 खान एवं खनिज अधिनियम व 3 लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम व मु0अ0सं0 65/2021 धारा 379 भादवि0 व 4/21 खान एवं खनिज( विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 तथा धारा 3/57/70 उ0प्र0 उपखनिज परिहार नियामवली 1963 व मु0अ0सं0 66/2021 धारा 147/148/149/323/504/506/427 भादवि0 पंजीकृत किया गया। प्रभारी निरीक्षक पहाड़ीत तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दविश दी गयी जिसमें अभियुक्त 1.सत्यनारायण यादव पुत्र कोदूराम यादव उम्र 38 वर्ष 2.सत्यनारायण पुत्र देशराज उम्र 24 वर्ष 3. लवकुश पुत्र कृष्ण पाल उम्र 23 वर्ष 4. बृजेन्द्र कुमार पुत्र श्रीधनराज उम्र 31 वर्ष 5. रामप्रकाश पुत्र राधेश्याम उम्र 27 वर्ष 6. रूद्र पुत्र राधेश्याम उम्र 38 वर्ष 7. गोरेलाल पुत्र शिवराम उम्र 20 वर्ष 8.जानकी पुत्र नन्कू उम्र 32 वर्ष निवासीगण ग्राम ममसी खुर्द थाना कमासिन जनपद बांदा 9.सुशील पुत्र चुनकन उम्र 27 वर्ष निवासी कुम्हेड़ा थाना कमासिन जनपद बांदा को गिरफ्तार किया गया।

### गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्री अवधेश कुमार मिश्र 2. उ0नि0 श्री जनार्दन प्रताप सिंह 3. उ0नि0 श्री प्रभुनाथ सिंह यादव 4. उ0नि0 श्री राजेश कुमार यादव 5. म0का0 निधि यादव, 6. रि0म0का0 ज्योती सरवइया 7. रि0म0का0 शिवानी सेंगर 8. रि0का0 प्रदीप कुमार 9. का0 प्रवीण पाण्डेय 10. रि0का0 अनिकेत 11.हे0का0 मधुसूदन पाठक 12. का0 विनोद कुमार 13.का0 लल्लू प्रसाद 14. का0 प्रद्युम्न पटेल 15. रि0का0 मोहित कुमार 16. रि0का0 अमित कुमार 17. रि0का0 पवन राजपूत 18. रि0का0 आशीष 19. चालक का0 प्रमोद कुमार

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्री गुलाब त्रिपाठी प्रभारी निरीक्षक मऊ के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री कन्हैयालाल बक्स सिंह तथा उनके हमराही द्वारा अभियुक्त राधेश्याम उर्फ छुटकू पुत्र निरपत निवासी खण्डेहा थाना मऊ चित्रकूट को 05 लीटर कच्ची

शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना मऊ में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया।

**गिरफ्तारी करने वाली टीम:-**

1. उ0नि0 श्री कन्हैयालाल बक्स सिंह थाना मऊ
2. आरक्षी अरविन्द कुमार साहनी

(4). कोरोना महामारी के संक्रमण की रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद चित्रकूट के निर्देशन में सीएफओ श्री यतीन्द्रनाथ उमराव के मार्गदर्शन में दिनांक-03.06.2021 को अग्निशमन टीमों द्वारा 1. ग्राम बरद्वारा की सम्पूर्ण आवासीय बस्ती 2. उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बरद्वारा क्षेत्र पहाड़ी के सम्पूर्ण परिसर 3. सुरसेन चौराहे थाना राजापुर में सेनेटाइजेशन किया गया।

(5). उ0प्र0 शासन द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला कल्याण एवं बाल विकास के लिए चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में दिनांक 03.06.2021 को एंटी रोमियो टीम थाना मानिकपुर द्वारा कस्बा मानिकपुर में सुभाषनगर, गांधीनगर, तिगलिया एवं बाजार में भ्रमण कर, एंटी रोमियो टीम थाना मऊ द्वारा बाजार रोड, बस स्टैण्ड मऊ, शिवपुर तिराहा, आनन्दी माता मंदिर में भ्रमण कर, एंटी रोमियो टीम थाना पहाड़ी द्वारा कस्बा पहाड़ी में बैंक, बस स्टैण्ड, नांदी चौराहा में भ्रमण कर, एंटी रोमियो टीम थाना राजापुर द्वारा ग्राम बेराउर, बरगदीपुरा, पाण्डेय का पुरवा में भ्रमण कर, एंटी रोमियो टीम थाना बरगढ़ द्वारा कस्बा बरगढ़ एवं कोलमजरा में, एंटी रोमियो टीम थाना मारकुण्डी द्वारा ग्राम किहुनियां में भ्रमण कर, एंटी रोमियो टीम महिला थाना द्वारा चुंगी चौराहा, भैरोपागा, संतोषी माता मंदिर में भ्रमण कर महिलाओं/ बालिकाओं को मास्क लगाने हेतु जागरूक किया। सभी से अपील की कोई भी अनावश्यक रूप से अपने घर से बाहर न निकलें/घूमें कोरोना वायरस से अपने व अपने परिवार को बचाये। महिला आरक्षियों द्वारा महिलाओं/बालिकाओं को वीमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108 एवं अपने-अपने थाना के सीयूजी नम्बर के बारे में विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया साथ ही मास्क लगाने एवं कोविड-19 के नियमों का पालन करने हेतु बताते हुये कोरोना वैक्सीन के प्रति जागरूक किया गया।

(6). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में वाँछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में श्री सुभाषचन्द्र चौरसिया प्रभारी निरीक्षक थाना मानिकपुर के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री बलदेव सिंह थाना मानिकपुर तथा उनकी टीम द्वारा मु0अ0सं0 42/2021 धारा 429 भादवि0 व 11 पशु क्रूरता अधिनियम व 5/51 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के वाँछित वाँछित अभियुक्त संतोष पुत्र दयाराम निवासी चमरहुआ थाना मानिकपुर चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

**गिरफ्तार करने वाली टीम-**

1. उ0नि0 श्री बलदेव सिंह थाना मानिकपुर
2. आरक्षी सतीश कुमार